न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/563

1. हरिसिंह पुत्र गणपतराम जाट जाति जाट निवासी ग्राम माधोकाबास तहसील चौंमू जिला जयपुर

——अपीलान्ट्

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र बालूराम जाट जाति जाट निवासी ग्राम माधोकाबास तहसील चौंमू जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौंमू जिला जयपुर

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री बनवारी लाल शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री शिवजन गिरि एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 12.07.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1065 रकबा 2.69 हैक्टेयर की खातेदारी स्वयं की बतायी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/5 वां हिस्सा हैं व खसरा नम्बर 1065 की सीमा पर खसरा नम्बर 1062, 1066 हैं उसकी सीमा पर पत्थरगढी करवाना चाहता हैं तथा दिनांक 11.05.2001 को सीमाज्ञान होना बताया हैं जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो तहसीलदार चौंमू की रिपोर्ट तलब की, ना ही पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया, अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में दिनांक 06.07.2022 को पत्थरगढी के आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट विवादित भूमि खसरा नम्बर 1065 के दक्षिण, पश्चिम सीमा का पड़ौसी खातेदार काश्तकार हैं तथा उसका खसरा नम्बर 1065 भू भाग पर कब्जा काश्त हैं परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पत्थरगढी की आड़ में अपीलान्ट का खसरा नम्बर 1065 की भूमि पर कब्जा है उसको विधि विरूद्व तरीके से हटाना चाहता हैं जबकि अपीलान्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

को उक्त भूमि से बेदखल करने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सक्षम न्यायालय में बेदखली का वाद दायर करना चाहिए था। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित खसरा नम्बर 1065 का तथाकथित सीमाज्ञान दिनांक 12.04.2001 व 05.05.2022 को होना बताया है जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 1065 के पश्चिमी ओर अपीलान्ट की लगती हुई खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1034 है तथा अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भूमि खसरा नम्बर 1065 पर कब्जा करने आदि तथ्यों का वर्णन करते हुये हस्तगत प्रकरण ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करने से पूर्व ही एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 263/2021 मिन अपीलान्ट के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी, जिन समस्त तथ्यों को छुपाते हुयें प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में दिनांक 11.05.2001 को सीमाज्ञान होना बताया है जबकि पत्रावली में एक अन्य सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2022 का प्रस्तुत किया है परन्तु प्रार्थना पत्र में कोई संशोधन नहीं करवाया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में दिनांक 11.05.2001 को सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी का आदेश पारित कर भारी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधि की मंशा के विपरित है क्योंकि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 के अन्तर्गत पत्थरगढी आदेश पारित करने से पूर्व चारो दिशाओं के काश्तकारों/खातेदारों को पक्षकार बनाकर एवं उन्हे सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार चौंमू द्वारा की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.04.2001 का अंकन है तत्पश्चात् नवीन सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.06.2022 का भी अंकन है। एक ही भूमि के संदर्भित दो अलग–अलग सीमाज्ञान रिपोर्ट सन्देह प्रदर्शित करती है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कतई कोई अंकन नहीं किया है कि अपीलाधीन भूमि बाबत दो रिपोर्ट कैसे हो सकती है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने आपसी मिलीभगत कर बिना पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अपीलाधीन निर्णय मात्र रेस्पोडेन्ट को लाभ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रदत्त करने के उद्देश्य से पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन कृषि भूमि के पश्चिमी तरफ अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1034 स्थित है तथा अपीलाधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 1065 के अडवा है। अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है जिसे सुनवाई का अवसर नहीं देकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है उससे अपीलान्ट के हक अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होते है। इसलिये अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत अपीलान्ट को दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी. पी.सी. अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी आदेश दिनांक 06.07.2022 को निरस्त करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि वाके ग्राम भूतेडा तहसील चौमू जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 1065 रकबा 2.69 हैक्टयर भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के नाम से दर्ज है जिसमें रेस्पोडेन्ट का हिस्सा 1/5 भाग है तथा शेष रेस्पोडेन्ट के सगे भाईयो का है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1065 की दक्षिणी सीमा की ओर सरकारी भूमि स्थित है तथा अपीलार्थी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि के सीमाज्ञान हेतु कार्यवाही की गई जिसके संदर्भ में तहसीलदार के आदेश पालना में ग्राम भूतेडा के खसरा नम्बर 1066, 1067, 1065 का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2022 को करवाया गया है तथा पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकारान को सुनने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं सरकार के मध्य सीमा सम्बन्धी विवाद होने पर सरकारी भूमि एवं अपीलार्थी की भूमि का सीमाज्ञान हुआ जिससे अपीलार्थी किसी भी तरह से प्रभावित नही हो रहा है जिस कारण से अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। ऐसे में अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता ही नही थी। अतः समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नही होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 1034 अपीलार्थी की आराजी है जो कि रेस्पोडेन्ट की आराजी के पश्चिम सीमा पर है तथा अपीलार्थी

की भूमि की ओर सीमाज्ञान नही किया गया है बल्कि दिनांक 14.06.2022 रेस्पोडेन्ट की व सरकारी भूमि का सीमाज्ञान किया गया है एवं अपीलाधीन आदेश भी अपीलार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1065 के सम्बन्ध में पारित किया गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का अधिकार कानूनन प्रदत्त नही है। हस्तगत प्रकरण रेस्पोडेन्ट एवं सरकार के मध्य रहा है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की किसी प्रकार की लोकस स्टेण्डाई भी नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी. पी.सी. खारिज किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी की किसी प्रकार की लोकस स्टेण्डाई नही होने से अपीलार्थी की अपील भी खारिज की जाती है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12/7/23

संभागीय आयुक्त
जयपुर।